(55)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 853-दो/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 28-2-2001 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 22/84-85 अपील

1- अमर सिंह पुत्र जयसिंह
2- महिला दोहरावाई उर्फ छोट
पुत्री जायसिंह निवासीगण
ग्राम बड़ापुरा तहसील अम्वाह
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- बच्चूसिंह पुत्र पंचम सिंह
2- पंचम सिंह पुत्र नन्दकिशोर
3- महिला सोना कुमारी पुत्री जयसिंह
सभी ग्राम बडापुरा तहसील अम्वाह
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8 - 8 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 22/84-85 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-2001 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक कमांक 1 ने नायब तहसीलदार पोरसा के समक्ष आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम उसैथ स्थित कुल किता 8 के रकबे की भूमि के हिस्सा

1/ 3 (आगे जिसे वादग्रस्त रकबा अंकित किया गया है) पर शासकीय अभिलेख में मोहर सिंह पुत्र नंदकिशोर का नाम भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज है किन्तु इस भूमिस्वामी ने जेठ सुदी 10 संबत् 2025 को रू. 4000/- प्रीमियम राशि लेकर 50 रू. वार्षिक लगान पर 25 वर्ष के लिये जुतवा दी थी एंव आधिपत्स सौंप दिया था, जिसकी लिखा पढ़ी है अतएव संहिता की धारा 168 का उल्लॅधन होने से उसे भूमिस्वामी अधिकार प्रोद्भूत हो गये है, इसलिये वादग्रस्त रकबे की भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 13/77-78 अ-46 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 10.10.84 से अमर सिंह का नाम वादग्रस्त रकबे की भूमि पर भूमिस्वामी अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील होने पर प्रकरण नम्बर 17/84-85 में पारित आदेश दिनांक 31-7-85 से अपील अस्वीकार हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 22/ 84-85 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-2001 से अपील स्वीकार की जाकर दोंनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए गए। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों पर विचार करने से स्थिति यह है कि वादग्रस्त रकबे की भूमि के रिकार्डेड भूमिस्वामी मोहर सिंह ने

पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 16-6-1975 से बच्चू सिंह को विकय कर दी एंव विकय पत्र के आधार पर केता बच्चू सिंह का दिनांक 13-9-1975 को नामान्तरण भी हो गया, तब विकेता मोहरसिंह वादग्रस्त रकबे की भूमि का भूमिस्वामी नहीं रहा तथा नामान्तरण आदेश दिनांक 13-9-1975 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम रहा, तब ऐसी भूमि पर किसी अन्य को सिकमी कास्तकार घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नायव तहसीलदार के समक्ष वर्ष 1977-78 में धारा 168 अथवा का दावा विचार योग्य एंव प्रचलन-योग्य नहीं था, परन्तु इन तथ्यों पर ध्यान न देते हुये अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने आदेश दिनांक 31-7-85 से अपील अस्वीकार करने में भूल की गई, जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 22/84-85 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-2001 में विस्तृत विवेचना करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के त्रृटिपूर्ण आदेशों को निरस्त किया है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 22/84-85 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-2001 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर